

अनुदान संख्या 58 – उच्चतर शिक्षा विभाग
GRANT No. 58 - DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	46778,08,00		
		47562,48,00	36759,59,21	-10802,88,79
पूरक	Supplementary	784,40,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2571,16,90
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	2752,00,00	2262,50,00	-489,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			488,50,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹1080288.79 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹78440.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1080288.79 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹78440.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 23 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O.	2215314.00		
पू.	S.	27902.00	2293127.73	1521425.94
पु.	R.	49911.73		-771701.79

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	1969208.00	2012074.30	1961394.00	-50680.30
पू.	S.	50534.00			
पु.	R.	-7667.70			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	265963.00	183.00	..	-183.00
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	-265783.0			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants - in - aid to State Governments				
मू.	O.	216000.00	182177.07	182176.02	-1.05
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-33823.93			

(I) ₹1086056.10 लाख का प्रावधान (₹50535.10 लाख के पूरक अनुदान सहित) बासठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1080738.50 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(I) Provision of ₹1086056.10 lakhs (including supplementary grant of ₹50535.10 lakhs) remained wholly unutilised under sixty two heads; of these ₹1080738.50 lakhs accounted for under the following major heads:

(का) मुख्य शीर्ष "2203" – "आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधि" – ₹50532.00 लाख का पूरक प्रावधान; और

(A) Major Head "2203" - "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh" - supplementary provision of ₹50532.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "2202" – "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण – माध्यमिक

(B) Major Head "2202" - "University and Higher Education - Transfer to Reserve Fund/Deposit

और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधि” – ₹769052.00 लाख।

Account - Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh” - ₹769052.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष की लेखाकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalisation of accounting procedure of Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh.

(गा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(C) Major Head “2552”

(क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता” –

(a) “University and Higher Education - Assistance to Universities” -

(i) “इग्नू तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹1162.00 लाख;

(i) “Assistance to IGNOU and State Open Universities” - ₹1162.00 lakhs;

(ii) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹22702.00 लाख (₹2.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ii) “University Grants Commission (UGC)” - ₹22702.00 lakhs (including supplementary grant of ₹2.00 lakhs);

(iii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹10300.00 लाख;

(iii) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan”- ₹10300.00 lakhs;

(iv) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹83800.00 लाख;

(iv) “Grants to Central Universities”- ₹83800.00 lakhs;

(ख) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – अन्य व्यय – शिक्षकों/और शिक्षण संबंधित राष्ट्रीय मिशन” – ₹742.00 लाख;

(b) “University and Higher Education - Other Expenditure - National Mission on Teachers/and Teaching”- ₹742.00 lakhs;

(ग) “भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्द्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए अनुदान” – ₹3053.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(c) “Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Grants for Promotion of Indian Languages” - ₹3053.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(घ) “तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग, तकनीकी कालेज तथा संस्थान” –

(d) “Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes” -

(i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” ₹26400.00 लाख;

(i) “Indian Institutes of Technology”- ₹26400.00 lakhs;

- | | |
|---|---|
| (ii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹4900.00 लाख; | (ii) “Indian Institutes of Management”- ₹4900.00 lakhs; |
| (iii) “अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद” – ₹3750.00 लाख; | (iii) “All India Council for Technical Education (AICTE)” - ₹3750.00 lakhs; |
| (iv) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹61000.00 लाख; | (iv) “National Institutes of Technology (NITs)” - ₹61000.00 lakhs; |
| (v) “अन्य संस्थाओं को सहायता” – ₹11976.00 लाख; | (v) “Assistance to other institutions”- ₹11976.00 lakhs; |
| (vi) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹1660.00 लाख; | (vi) “Indian Institutes of Information Technology” - ₹1660.00 lakhs; |
| (ड़) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) – अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹2010.00 लाख; | (e) “General (General Education)- Other Expenditure- Digital India e-learning”- ₹2010.00 lakhs; |
| (च) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” – | (f) “Special Component Plan for Scheduled Castes” - |
| (i) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹978.10 लाख; | (i) “Assistance to other institutions”- ₹978.10 lakhs; |
| (ii) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹4200.00 लाख; | (ii) “Grants to Central Universities”- ₹4200.00 lakhs; |
| (iii) “तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान” – ₹700.00 लाख; | (iii) “Technical Education- Engineering Technical Colleges and Institutes”- ₹700.00 lakhs; |
| (iv) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹1550.00 लाख; | (iv) “University Grants Commission (UGC)”- ₹1550.00 lakhs; |
| (v) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹2400.00 लाख; | (v) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- ₹2400.00 lakhs; |
| (vi) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹2400.00 लाख; | (vi) “Indian Institutes of Technology (IITs)”- ₹2400.00 lakhs; |

(vii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹700.00 लाख;	(vii) “Indian Institutes of Management (IIMs)”- ₹700.00 lakhs;
(viii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹6000.00 लाख;	(viii) “National Institutes of Technology (NITs)” - ₹6000.00 lakhs;
(छ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –	(g) “Tribal Area Sub-Plan” -
(i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹1200.00 लाख;	(i) “Indian Institutes of Technology (IITs)”- ₹1200.00 lakhs;
(ii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹3000.00 लाख;	(ii) “National Institutes of Technology (NITs)”- ₹3000.00 lakhs;
(iii) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹2000.00 लाख;	(iii) “Grants to Central Universities”- ₹2000.00 lakhs;
(iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹521.40 लाख;	(iv) “Assistance to other institutions”- ₹521.40 lakhs;
(v) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹750.00 लाख; और	(v) “University Grants Commission (UGC)”- ₹750.00 lakhs; and
(vi) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹1300.00 लाख;	(vi) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- ₹1300.00 lakhs;

उपर्युक्त सत्ताईस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above twenty seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2202” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head “2202”- savings occurred under the following heads:

(का) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा”

(A) “University and Higher Education”-

(क) “विश्वविद्यालयों को सहायता” –

(a) “Assistance to Universities” -

(i) “आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा जनजातीय विश्वविद्यालय” – ₹1641.72 लाख की बचत

(i) “Andhra Pradesh and Telangana Tribal Universities” - saving of ₹1641.72 lakhs

(₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) लागत प्राक्कलन को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to delay in finalization of the cost estimates.

(ii) “उच्च शिक्षा” – ₹13197.40 लाख की बचत (₹26874.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) “Higher Education” - saving of ₹13197.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26874.00 lakhs);

(ख) “अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना – उच्च शिक्षा” – ₹1340.00 लाख की बचत (₹5745.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Higher Education”- saving of ₹1340.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5745.00 lakhs); and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना– उच्च शिक्षा” – ₹641.00 लाख की बचत (₹2911.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(c) “Tribal Area Sub-Plan- Higher Education”- saving of ₹641.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2911.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, प्रारंभिक चरणों में कुछ स्कीमों का संचालन होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to non-finalization of schemes, some schemes being in initial stages of operation and economy measures.

(खा) “भाषा विकास – निदेशन और प्रशासन– अन्य स्कीमों” – ₹1018.66 लाख की बचत (₹2203.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, पत्राचार कोर्स से संबंधित व्यय की धीमी गति होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) “Language Development- Direction and Administration- Other Schemes”- saving of ₹1018.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2203.50 lakhs) was due to receipt of less proposals, slow pace of expenditure towards correspondence courses and economy measures.

(गा) “सामान्य” –

(C) “General”-

(क) “अनुसंधान – मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल” – ₹9112.56 लाख की बचत (₹24900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) “Research - National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences”- saving of ₹9112.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24900.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals and economy measures.

(ख) “छात्रवृत्ति – विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता” – ₹5105.08 लाख की बचत (₹187150.00 लाख के

(b) “Scholarships- Student Financial Aid”- saving of ₹5105.08 lakhs (against the

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम दावों पर आधारित होने के कारण दावों की कम संख्या में प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(i) “विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता” – ₹36920.08 लाख की बचत (₹40770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के लिए अंशदान के अंतर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोर्स को सकल बजट समर्थन से निधियन पैटर्न में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(ii) “मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल” – ₹920.74 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(i) “मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल” – ₹571.56 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹860.21 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3681.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

sanctioned provision of ₹187150.00 lakhs) was due to receipt of less number of claims scheme being claim-based.

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “Student Financial Aid” - saving of ₹36920.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40770.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals under Interest Subsidy and Contribution for guarantee fund and change in funding pattern from Gross Budgetary Support to Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh.

(ii) “National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences”- saving of ₹920.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs);

(d) “Tribal Area Sub-Plan”-

(i) “National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences”- saving of ₹571.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs); and

(ii) “Digital India e-Learning”- saving of ₹860.21 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3681.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads was due to receipt of less number of viable proposals and economy measures.

(iii) “विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता” – ₹18692.51 लाख की बचत (₹20880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के लिए अंशदान के अंतर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोर्स को सकल बजट समर्थन से निधियन पैटर्न में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(iii) “Student Financial Aid”- saving of ₹18692.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20880.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals under Interest Subsidy and Contribution for guarantee fund and change in funding pattern from Gross Budgetary Support to Madhyamik and Uchcharat Shiksha Kosh.

(III) मुख्य शीर्ष “2203” बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head “2203”- savings occurred under the following heads:

(का) “अनुसंधान – अनुसंधान और नवाचार” – ₹13562.29 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹26315.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, प्रारंभ में कुछ स्कीमों का संचालन प्रारंभिक राज्यों में होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) “Research-Research and Innovation”- saving of ₹13562.29 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹26315.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to non-finalization of schemes, some schemes being in initial states of operation and economy measures.

(खा) “छात्रवृत्ति – विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता” – ₹6830.17 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत की तुलना में) कम दावों की प्राप्ति होने, कुछ स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) “Scholarships-Student Financial Aid”- saving of ₹6830.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to receipt of less claims, non-finalization of some schemes and economy measures.

(गा) “इंजीनियरिंग, तकनीकी कॉलेज और संस्थान” –

(C) “Engineering, Technical Colleges and Institutes”-

(क) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹39382.72 लाख की बचत (₹525700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) “Indian Institutes of Technology (IITs)”- saving of ₹39382.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹525700.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and economy measures.

(ख) “योजना और वास्तुकला के नये विद्यालयों की स्थापना” – ₹5873.50 लाख की बचत (₹18700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरानी संस्थाओं से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और नई संस्थाओं की स्थापना करने के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) “Setting up of New Schools of Planning and Architecture”- saving of ₹5873.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18700.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the old institutes and non-finalisation of the proposal for establishing new institutes.

- (ग) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹52105.87 लाख की बचत (₹79800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्चतर शिक्षा निधियन एंजेसी ऋण के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।
- (घ) “भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹5546.06 लाख की बचत (₹57600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।
- (घा) “अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –
- (क) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹2918.72 लाख की बचत (₹50800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विलंब होने, कुछ संस्थाओं का संचालन प्रारंभिक चरण में होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹7020.75 लाख की बचत (₹11900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “छात्र वित्तीय सहायता” – ₹1734.33 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों की कम संख्या होने की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।
- (घ) “अनुसंधान और नवाचार” – ₹2950.21 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5805.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, उन्नत भारत अभियान के तहत चयन किए गए कुछ संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने एवं
- (c) “Indian Institutes of Management (IIMs)”- saving of ₹52105.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹79800.00 lakhs) was due to delay in approval of Higher Education Financing Agency loan.
- (d) “Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs)” - saving of ₹5546.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57600.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from institutes.
- (D) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (a) “Indian Institutes of Technology”- saving of ₹2918.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50800.00 lakhs) was due to delayed submission of proposals from the institute, some institutes being in initial stage of operation and economy measures.
- (b) “Indian Institutes of Management”- saving of ₹7020.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and economy measures.
- (c) “Student Financial Aid”- saving of ₹1734.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals owing to less number of eligible candidates under Prime Minister Research Fellowship.
- (d) “Research and Innovation”- saving of ₹2950.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5805.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to non-finalisation of some schemes, receipt of less proposals from some institutes

किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

selected under Unnat Bharat Abhiyan and economy measures.

(ड) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹771.86 लाख की बचत (₹7600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(e) “Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs)”- saving of ₹771.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7600.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from institutes.

(ड़) “जनजातीय क्षेत्र योजना” –

(E) “Tribal Area Sub-Plan”-

(क) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹1304.86 लाख की बचत (₹25100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विलंब होने, कुछ संस्थानों का संचालन प्रारंभिक चरण में होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) “Indian Institutes of Technology”- saving of ₹1304.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25100.00 lakhs) was due to delayed submission of proposals from the institute, some institutes being in initial stage of operation and economy measures.

(ख) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹3411.37 लाख की बचत (₹5900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(b) “Indian Institutes of Management”- saving of ₹3411.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5900.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and economy measures.

(ग) “छात्र को वित्तीय सहायता” – ₹866.91 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों की कम संख्या होने की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(c) “Student Financial Aid” - saving of ₹866.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to less number of eligible candidates under Prime Minister Research Fellowship.

(घ) “अनुसंधान और नवाचार” – ₹1376.98 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2903.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, उन्नत भारत अभियान के तहत चयन किए गए कुछ संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(d) “Research and Innovation” - saving of ₹1376.98 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2903.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to non-finalisation of some schemes, receipt of less proposals from some institutes selected under Unnat Bharat Abhiyan and economy measures.

(ङ) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹560.41 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के

(e) “Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs)” - saving of ₹560.41 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from institutes.

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं—

(IV) Under Major Head “3601”- savings occurred under the following heads:

(का) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान”—

(A) “Other Transfer/ Grants to States” -

(क) “विशेष सहायता—विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन” — ₹34639.00 लाख की बचत (₹71000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में):

(a) “Special Assistance- Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers”- saving of ₹34639.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71000.00 lakhs);

(ख) “अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना — विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन” — ₹8762.39 लाख की बचत (₹15800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers” - saving of ₹8762.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15800.00 lakhs); and

(ग) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना — विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन” — ₹4681.19 लाख की बचत (₹8200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers”- saving of ₹4681.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8200.00 lakhs);

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने एवं किराया के उपाय किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from State Governments and economy measures.

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1396.56 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 90 प्रतिशत थीं।

(V) Under four heads savings of ₹1396.56 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding 500.00 lakhs and constituting 10 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹294260.65 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹78437.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹294260.65 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹78437.00 lakhs under the following major heads:

(का) मुख्य शीर्ष “2202” —

(A) Major Head “2202”-

(क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” –

- (i) “विश्वविद्यालयों को सहायता” –
- (1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹2045.30 लाख।
 - (2) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹88638.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹88638.20 लाख था।
- (ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –
- (1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹11515.00 लाख।
 - (2) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹11876.25 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11876.05 लाख था।
- (iii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹5744.88 लाख।
 - (2) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹4817.25 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4817.05 लाख था।

(ख) “भाषा विकास” –

- (i) “आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्द्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए अनुदान” – ₹6103.30 लाख।
- (ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के

(a) “University and Higher Education”-

- (i) “Assistance to Universities”-
- (1) “University Grants Commission” - ₹2045.30 lakhs.
 - (2) “Grants to Central Universities”- ₹88638.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹88638.20 lakhs.
- (ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-
- (1) “University Grants Commission (UGC)”- ₹11515.00 lakhs.
 - (2) “Grants to Central Universities”- ₹11876.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹11876.05 lakhs.
- (iii) “Tribal Area Sub-Plan”-
- (1) “University Grants Commission (UGC)”- ₹5744.88 lakhs.
 - (2) “Grants to Central Universities”- ₹4817.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹4817.05 lakhs.

(b) “Language Development”-

- (i) “Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Grants for Promotion of Indian languages”- ₹6103.30 lakhs.
- (ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants for

लिए अनुदान” – ₹769.90 लाख।

Promotion of Indian languages”-
₹769.90 lakhs.

(iii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए अनुदान” – ₹344.54 लाख।

(iii) “Tribal Area Sub-Plan - Grant for Promotion of Indian Languages” - ₹344.54 lakhs.

(ग) “सामान्य” –

(c) “General”-

(i) “प्रशिक्षण – कौशल विकास” – ₹835.00 लाख।

(i) “Training - Skill Development” - ₹835.00 lakhs.

(ii) “अनुसंधान” –

(ii) “Research” -

(1) “अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्द्धन योजना” – ₹2150.00लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2149.90 लाख था।

(1) “Scheme for Promotion of Academic and Research in Collaboration (SPARC)”- ₹2150.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2149.90 lakhs.

(2) “सामाजिक विज्ञान में प्रभावपूर्ण अनुसंधान नीति” – ₹375.00 लाख था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹374.90 लाख था।

(2) “Impactful Policy Research in Social Science (IMPRESS)”- ₹375.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹374.90 lakhs.

(iii) “अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(iii) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(1) “अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्द्धन योजना” ₹555.00 लाख था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹554.95 लाख था।

(1) “Scheme for Promotion of Academic and Research in Collaboration (SPARC)”- ₹555.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹554.95 lakhs.

(2) “भारत में अध्ययन” – ₹330.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹329.80 लाख था।

(2) “Study in India” - ₹330.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹329.80 lakhs.

(iv) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्द्धन योजना” – ₹295.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹294.95 लाख था।

(iv) “Tribal Area Sub-Plan - Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC)” - ₹295.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹294.95 lakhs.

(v) “अन्य व्यय” –

- (1) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹3780.23 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3779.91 लाख था।
- (2) “भारत में अध्ययन” – ₹1496.00 लाख था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1495.80 लाख था।

(v) “Other Expenditure” -

- (1) “Digital India e-Learning”- ₹3780.23 lakhs. Actual excess, however, was ₹3779.91 lakhs.
- (2) “Study in India” - ₹1496.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1495.80 lakhs;

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” –

(क) “इंजीनियरिंग, तकनीकी कालेज और संस्थान” –

- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹72142.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹72142.40 लाख था।
- (ii) “भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संशोधन परियोजना” – ₹16650.32 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹16650.22 लाख था।
- (iii) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹7116.46 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹7028.86 लाख था।
- (iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹10409.40 लाख।
- (v) “भारतीय विज्ञान संस्थान” – ₹3592.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3591.00 लाख था।

(B) Major Head “2203”-

(a) “Engineering, Technical Colleges and Institutes” -

- (i) “National Institutes of Technology (NITs)”- ₹72142.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹72142.40 lakhs.
- (ii) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - ₹16650.32 lakhs. Actual excess, however, was ₹16650.22 lakhs.
- (iii) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - ₹7116.46 lakhs. Actual excess, however, was ₹7028.86 lakhs.
- (iv) “Assistance to Other Institutions”- ₹10409.40 lakhs.
- (v) “Indian Institute of Science (IISc)”- ₹3592.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3591.00 lakhs.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹962.36 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹954.16 लाख था।	(i) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - ₹962.36 lakhs. Actual excess, however, was ₹954.16 lakhs.
(ii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹11061.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11061.40 लाख था।	(ii) “National Institutes of Technology (NITs)” - ₹11061.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹11061.40 lakhs.
(iii) “भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संशोधन परियोजना” – ₹6452.12 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6452.02 लाख था।	(iii) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - ₹6452.12 lakhs. Actual excess, however, was ₹6452.02 lakhs.
(iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹826.95 लाख।	(iv) “Assistance to Other Institutions”- ₹826.95 lakhs.
(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –	(c) “Tribal Area Sub-Plan”-
(i) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹5323.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5322.90 लाख था।	(i) “National Institutes of Technology (NITs)”- ₹5323.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5322.90 lakhs.
(ii) “भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संशोधन परियोजना” – ₹2897.56 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2897.46 लाख था।	(ii) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)”- ₹2897.56 lakhs. Actual excess, however, was ₹2897.46 lakhs.
(iii) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹448.60 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹444.39 लाख था।	(iii) “Indian Institute of Information Technology (IIITs)” - ₹448.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹444.39 lakhs.
(iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹448.10 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹431.87 लाख था।	(iv) “Assistance to Other Institutions” - ₹448.10 lakhs. Actual excess, however, was ₹431.87 lakhs.
(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –	(C) Major Head “3601”- “Centrally Sponsored Schemes”-

(क) “केन्द्रीय सहायता/शेयर – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹8614.55 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹8613.54 लाख था।

(ख) “अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹3858.22 लाख का अधिक व्यय, वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3858.21 लाख था।

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹1785.86 लाख का अधिक व्यय। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1785.85 लाख था।

(a) “Central Assistance/ Share- National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- ₹8614.55 lakhs. Actual excess, however, was ₹8613.54 lakhs.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- excess of ₹3858.22 lakhs. Actual excess, however, was ₹3858.21 lakhs.

(c) “Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- excess of ₹1785.86 lakhs. Actual excess, however, was ₹1785.85 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2203” – “इंजीनियरिंग, तकनीकी कालेज एवं संस्थान – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹1321.46 लाख का अधिक व्यय (₹0.04 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹34050.04 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2203”- “Engineering, Technical Colleges and Institutes - All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)”- excess of ₹1321.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹34050.04 lakhs including token supplementary grant of ₹0.04 lakh) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O.	275200.00	226350.00	226250.00
पु.	R.	-48850.00		
				-100.00

(I) ₹200.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹200.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) "सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – उच्चतर शिक्षा निधियन संस्थानों में निवेश" के अंतर्गत – ₹48750.00 लाख की बचत (₹275000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under "General Education- University and Higher Education- Investment in Higher Educational Financing Institutions"- saving of ₹48750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹275000.00 lakhs) was due to delayed receipt of proposals.